राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(18)नविवि/5/2009पार्ट–VI जयपुर, दिनांक :– 26 AUG 2013

आदेश

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की नवम् बैठक दिनांक 01.08.2013 में लिये गये निर्णय के क्रम में, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल नं. 2 के तहत आवेदित योजनाओं के भूखण्डों में उप–विभाजन/पुनर्गठन कराये जाने पर पुनर्गठन शुल्क देय नहीं होगा।

(एन. के. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को उनके पत्र क्र. जविप्रा/उपा/जोन–15/2013/डी–1562 दिनांक 27.06.2013 द्वारा मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को जारी पट्टे में अतिरिक्त भूमि पुनर्गठित किये जाने के संबंध में चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रेषित है।

6. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/आबू जिला सिरोही/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/बांसवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम